सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 180 **14 Falgun, 1939 (S)**

Ranchi, Monday, 5th March, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

28th February, 2018

NOTIFICATION No-3/2018 State Tax (Rate)

S.O. No. 18 Dated - 5th March, 2018 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, Department of Commercial Taxes No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O 43 dated the 29thJune, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017.";

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

'(f) "insurance agent" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).'.

2. This notification shall be deemed to be effective from 25th January, 2018.

[File.No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, *vide* S.O 43 dated the 29thJune, 2017 and was last amended by notification No. 33/2017 - State Tax (Rate), dated the 20th October, 2017 *vide* S.O 98, dated the 20th October, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी, 2018

अधिसूचना सं०. 3/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ- 18 दिनांक 5 मार्च, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5क	झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ।	राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति ।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है ।' ।

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ 43, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2017- राज्य कर (दर) दिनांक 20 अक्तूबर, 2017 जिसे एस. ओ 98 दिनांक 20 अक्तूबर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 180-- 50.